रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 412] नई दिल्ली, शनिवार, सितम्बर 16, 1972/भाद्र 25, 1894

No. 412] NEW DELHI, SATURDAY, SEPTEMBER 16, 1972/BHADRA 25, 1894

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th September 1972

S.O. 600(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 5 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 (37 of 1967), the Central Government, being of opinion that it is necessary so to do, hereby constitutes the "Unlawful Activities (Prevention) Tribunal" consisting of Shri Justice Mahendra Chandra Pathak, Judge of the Gauhati High Court.

[No. F. 1/21/72-Poll(K).]

T. C. A. SRINIVASAVARADAN, Jt. Secy.

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 सितम्बर, 1972

का० आ० 600(अ).—विधि विरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण अधिनियम, 1967 (1967 का 37) की धारा 5 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार यह राय होने पर कि ऐसा करना आवश्यक है एतद्द्वारा "विधि विरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिकरण" गठित करती है जो न्यायाधिपति श्री महेन्द्र चन्द्र पाठक, न्यायाधीश उच्च न्यायालय गोहाटी के रूप में हैं।

[सं० पत्र० 1/21/72-पौल (के०)]

टी० सी० ए० श्रीनिवासवर्दन, संयुक्त सचिव।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1972